5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

20रु. कोर्ट फीस Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 पुनरीक्षण

कृष्णकुमार इजारदार पुत्र स्व. श्री रामदीन इजारदार

निवासी–पीरबल्ली मौहल्ला वार्ड क्रमांक–13 भाण्डेर

जिला–दतिया म.प्र.

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन

2. कृष्णगोपाल पुत्र रामदीन इजारदार

निवासी--पीरबल्ली मौहल्ला वार्ड क्रमांक–13 भाण्डेर

जिला–दतिया म.प्र.

न्यायालय तहसीलदार परगना भाण्डेर जिला–दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/अ–12/14–15 में पारित आदेश दिनांक 25–02–2016 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है–

1. यह कि, तहसीलदार महोदय का विवादित आदेश अनुचित एवं विधिसम्मत न होने से निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, ग्राम–चकपीर खां की भूमि सर्वे क्रमांक–46 आवेदक के भूमि स्वामित्व की भूमि है आवेदक ने अपनी भूमि के सीमांकन हेतु तहसीलदार के समक्ष आवेदन दिया था तहसीलदार ने आवेदक की भूमि के सीमांकन की कार्यवाही को स्थगित किये जाने का विवादित आदेश पारित करने में अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है.

3. यह कि, निर्विवाद रूप से आवेदक भूमि सर्वे क्रमांक–46 का भूमि स्वामी है आवेदक को अपनी भूमि का सीमांकन कराने का अधिकार विधि द्वारा प्रदात्त किया गया है.

4. यह कि, अनावेदक–2 ने सीमांकन आवेदन पर केवल यह आपत्ति प्रस्तुत की थी कि उक्त भूमि के संबंध में नामांतरण का विवाद राजस्व मण्डल के समक्ष लम्बित है तहसीलदार ने नामांतरण संबंधित विवाद को आधार बनाकर विवादित आदेश पारित करने में गंभीर भूल की है.

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1055–तीन/2016 जिला–दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
8–2–19	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 वाजपेयी उपस्थित। अनावेदक अधिवक्ता श्री ए0 के0 अग्रवाल उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ता के तर्क सुने। 2 अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार तहसील भाण्डेर जिला दतिया के प्रकरण कमांक 02/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 25/02/16 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी भाण्डेर जिला दतिया के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/03/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 15/3/19 अनुविभागीय अधिकारी भाण्डेर जिला दतिया	